(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 123/2021

बउनवान

1. भीमराज पुत्र धन्नालाल जाति चमार मेघवाल निवासी खानपुरियां तह0 अटरू
2. जानकीबाई पुत्री धन्नालाल जाति चमार मेघवाल निवासी खानपुरियां तह0 अटरू
3. संतोषबाई पुत्री धन्नालाल जाति चमार मेघवाल निवासी खानपुरियां तह0 अटरू
4. चन्द्रकला पुत्री धन्नालाल जाति चमार मेघवाल निवासी खानपुरियां तह0 अटरू
5. कन्याबाई पत्नि स्व. धन्नालाल जाति चमार मेघवाल निवासी खानपुरियां तह0 अटरू
6. दयाराम पुत्र ओंकारलाल जाति चमार मेघवाल निवासी खानपुरियां तह0 अटरू
7. भीमराज पुत्र ओंकारलाल जाति चमार मेघवाल निवासी खानपुरियां तह0 अटरू
8. ओमप्रकाश पुत्र ओंकारलाल जाति चमार मेघवाल निवासी खानपुरियां तह0 अटरू
9. रामप्रसाद पुत्र केसरीलाल जाति चमार मेघवाल निवासी खानपुरियां तह0 अटरू
10. सलोचना पुत्री केसरीलाल जाति चमार मेघवाल निवासी खानपुरियां तह0 अटरू
11. रामदयाल पुत्र गोपीचन्द जाति चमार मेघवाल निवासी खानपुरियां तह0 अटरू
12. रमेशचन्द्र पुत्र गोपीचन्द जाति चमार मेघवाल निवासी खानपुरियां तह0 अटरू
13. संतोषबाई पुत्री गोपीचन्द जाति चमार मेघवाल निवासी खानपुरियां तह0 अटरू
14. जानकीबाई पुत्री गोपीचन्द जाति चमार मेघवाल निवासी खानपुरियां तह0 अटरू

(अपीलांटगण)

बनाम

1. चन्द्रकान्तिबाई पत्नि रामदयाल जाति चमार मेघवाल निवासी खानपुरियां तह0 अटरू
2. पानाबाई पत्नि स्वर्गीय देवा जाति चमार मेघवाल निवासी खानपुरियां तह0 अटरू
3. फैफाबाई पुत्री नारायण जाति चमार मेघवाल निवासी खानपुरियां तह0 अटरू
4. बरदीबाई पुत्री देवा जाति चमार मेघवाल निवासी खानपुरियां तह0 अटरू
5. मांगीबाई पुत्री देवा जाति चमार मेघवाल निवासी खानपुरियां तह0 अटरू
6. मांगीलाल पुत्र देवा जाति चमार मेघवाल निवासी खानपुरियां तह0 अटरू
7. रामकुंवार पुत्र देवा जाति चमार मेघवाल निवासी खानपुरियां तह0 अटरू
8. रामा पुत्र नारायण जाति चमार मेघवाल निवासी खानपुरियां तह0 अटरू
9. हीरा पुत्र नारायण जाति चमार मेघवाल निवासी खानपुरियां तह0 अटरू
10. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार अटरू के तस्दीकी इंतकाल नं0 296 दि. 09.02.1978 ग्राम कटावर तहसील अटरू के अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री बृजराज [illegible] अभिभाषक (अपीलांटगणच)
2– अनुपस्थित (रेस्पो. क्रम 1 ता 9)
3– [illegible] सरकार (रेस्पो. क्रम 10)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:51:21 IST
Reason: Self Attested

निर्णय दिनांक [illegible]

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के तस्दीकी इंतकाल संख्या 296 दिनांक 09.02.1978 ग्राम कटावर तहसील अटरू से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 15.03.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल की प्रमाणित प्रति तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में रेस्पो. क्रम 1 ता 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 10 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण में इंतकाल की प्रमाणित प्रति को हीं आधार मानकर अपीलांटगण के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई ।

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि सहखातेदार पांच्या वारिसान अपीलांट्स है तथा सहखातेदार बिरधा व नारायण के वारिसान रेस्पो0 क्र0 1 ता 9 है। ग्राम कटावर तहसील अटरू की आराजी खसरा नं0 7 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं0 16 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं0 19 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा स्थित थी जिसके खातेदार पांच्या, बिरधा, नारायण पुत्रगण शंकर जाति चमार निवासी खानपुरिया राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। उक्त तीनों सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी आराजी वाके ग्राम खानपुरियां तह0 अटरू में भी स्थित है। तीनों सहखातेदारान में आपसी सहमति से यह तय हुआ था कि ग्राम खानपुरियां की आराजी से सहखातेदार बिरधा व नारायण अपना नाम हटा लेंगे तथा ग्राम कटावर की आराजी से पांच्या अपना नाम हटा लेगा। इस सहमति के आधार पर एक आवेदन तीनों सहखातेदारान द्वारा पेश किया था जिस पर ग्राम कटावर की आराजी से सहखातेदार पांच्या का नाम हटा दिया गया। लेकिन ग्राम खानपुरियां की आराजी से सहखातेदार बिरधा व नारायण का नाम नहीं हटाया गया। इस कारण अब अपीलांटस जो पांच्या के वारिस है, अपना नाम वाके ग्राम कटावर की उक्त आराजी में दर्ज करवाना चाहते है। इस कारण इंतकाल नं0 296 दिनांक 09.02.1978 को खारिज करवाकर पुनः इंतकाल खुलवा पाने के अधिकारी है।

इस इंतकाल की जानकारी अपीलांटगण को दिनांक 19.03.2020 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई। पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि अपीलांटगण का नाम कटावर की भूमि से हटा दिया गया है। इसके बाद अपीलांटगण ने ग्राम खानपुरियां के पटवारी हल्का से जानकारी ली तो पता चला कि अपीलांटगण के साथ–साथा रेस्पो0 का नाम भी है। इस पर अपीलांटगण ने नकल आवेदन पेश कर नकल प्राप्त की लेकिन कोविड–19 के कारण लॉकडाउन हो जाने से अपीलांटगण समय पर अपील पेश नहीं कर सके थे। इसलिए अपीलांटगण अब अपील प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुए है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि इन्तकाल सं0 296 दि. 09.02.1978 तहसीलदार अटरू बाबत आराजी वाके ग्राम कटावर तहसील अटरू निरस्त फरमाया जाकर रेस्पो0 क्रम 1 ता 9 के साथ–साथ अपी[illegible] क्रम 1 ता 14 का नाम अंकित करते हुए पुनः इंतकाल खोले जाने का आदेश [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:51:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में अपीलांटगण के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया जाकर म[illegible] किया गया जिससे पाया गया कि अपीलांटगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील में वंशावली नहीं दर्शायी गयी है। उक्त इन्तकाल सं0 296 दिनांक 09.02.1978 वाके ग्राम कटावर तहसील अटरू के खोले जाने में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया गया है। अपीलांटगण द्वारा अपील काफी विलम्ब से पेश की गई है। इसमें अपीलांटगण की लापरवाही दृष्टिगोचर होती है। लापरवाह पक्षकार

के प्रति नरमी का रूख नहीं अपनाया जा सकता। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के प्रत्येक दिन का युक्तियुक्त एवं समुचित कारण बताया जाना आवश्यक है। किन्तु अपीलांटगण अपनी अपील के प्रति सजग नहीं रहे है और अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कोई समुचित कारण नहीं बता पाए है। जिससे अपील प्रस्तुत करने में हुई 42 वर्ष की देरी को माफ नहीं किया जा सकता है एवं धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य होने से हम यह अपील खारिज करना उचित समझते है। अतः यह धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तद्नुसार यह अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:51:21 IST
Reason: SelfAttested